

फर्द अहकाम (नियम 26)
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सृजानाथ
 पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.
 मू.नं. 72/अ.मं. 2019

16.08.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान मू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व सृजानाथ से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मूर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए प्राथम पीछाराम ने खाली टुकड़ी बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मू.अभिलेख निरीक्षक छपर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सृजानाथ की अनुशाषा के आधार पर राजस्थान मू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पाण्डेराई तहसील सृजानाथ व जिला बूंक की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 में पुराना खाली संख्या-03 नया खाली संख्या 82 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से बूंक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद के आदेश दिये जाते हैं:-

क. ग्राम	पाण्डेराई	3/83	सावित्री देवी पत्नी स्व. अर्जुन राम
ख. खाली	संख्या		प्रविष्टि (अर्थात् वर्तमान प्रविष्टि)
क. सं.			दर्ज की जानी है)

1	पाण्डेराई	3/83	सावित्री देवी पत्नी स्व. अर्जुन राम हनुमानमल रामलाल बनमाल हरिप्रसाद गोपाल सावरमल गोमती सन्तोष पुत्र पुत्रिया अर्जवाम हिस्सा 1/3 किसुई पत्नी फुसा किसुई सन्तोष पुत्रिया फुसा हिस्सा 1/3 राहिन कर्णवाम बन्द गंगाराम हिस्सा 1/3 मूर्तिबिन बी.ओ.बी. शाखा छपर जालि शाखा छपर जालि
			अर्जवाम हनुमानमल रामलाल बनमाल हरिप्रसाद गोपाल सावरमल गोमती सन्तोष पुत्र पुत्रिया अर्जवाम हिस्सा 1/3 किसुई पत्नी फुसा किसुई सन्तोष पुत्रिया फुसा हिस्सा 1/3 राहिन कर्णवाम बन्द गंगाराम हिस्सा 1/3 मूर्तिबिन बी.ओ.बी. शाखा छपर जालि जालि शाखा

नियम की प्रति तहसीलदार राजस्व सृजानाथ को भिजाई जाये। पत्रावली नियम में सुमार होकर हस्त जाबा दाखिल दर्फतर हो। नियम आज दिनांक 16.08.2019 को भरे द्वारा लिखाया जाकर बसने इजलास में सुनाया गया।
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सृजानाथ

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तारीख
 में जारी हुए

तारीख
 हुकम

हुकम की कार्यवाही मय इनिशियलस जल